


# भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-13/2019-20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
26.04.2019	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक- 248, दिनांक- 26.04.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 26.04.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक श्री निरंजन सुन्डी, पिता- स्व० गाला सुन्डी, जाति- हो (अ.ज.जा.), ग्राम- भालियाकुदर, वार्ड नं०- 08, पो०+थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा- जोगीबेड़ा, थाना नं०- 77, थाना- चक्रधरपुर, खाता नं०- 53, प्लॉट नं०- 17, रकवा- 0.04 ए०, आवासीय भूमि क्रेता श्रीमति लखी बोदरा, पति- श्री राम कृष्णा बोदरा, जाति- हो (अ.ज.जा.), ग्राम- ओटार, थाना- चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम के पास विक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि विक्री की जानेवाली जमीन आवेदक श्री निरंजन सुन्डी, पिता- स्व० गाला सुन्डी, जाति- हो (अ.ज.जा.), ग्राम- भालियाकुदर, वार्ड नं०- 08, पो०+थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>विक्रेता एवं क्रेता का थाना- चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता का जाति हो (अ.ज.जा.), समुदाय के सदस्य हैं। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि मकान बनाने हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि विक्री के पश्चात् विक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा 2.55 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन विक्रेता निरंजन सुन्डी, पिता- स्व० गाला सुन्डी, जाति- हो (अ.ज.जा.), ग्राम- भालियाकुदर, वार्ड नं०- 08, पो०+थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम उक्त भूमि 1,00,000/- (एक लाख) रुपये में बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं विक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर निबंधन शुल्क अदा कर बेचने की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p>	

  
 भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
 पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।